मृच्छकटिकम् में प्रतिपादित सामाजिक अवधारणा-वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

***तनूजा सामन्त**
****डॉ0 (श्रीमती) आभा शर्मा**

प्रस्तावना– भारतीय जनमानस को ज्ञान सलिल से आप्लावित करने वाली, विविध विधाओं, कलाओं एवं सामाजिक परिस्थितियों को परिलक्षित करने वाली गीर्वाण वाणी ने भारत की सुरम्य धरा को ज्ञान का विस्तृत आलोक प्रदान किया है जिससे आलोकित होकर प्रत्येक मानव वर्तमान सभ्यता के चरत को ज्ञात करने हेतु प्रयत्नशील है। मनुष्य अपने ज्ञान एवं आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति काव्य रचना के द्वारा करता है। भावाभिव्यक्ति की विविध विधायें काव्य को अनेक रूपों में विभाजित कर देती हैं जिनमें से मुख्यतः दो भेद –दृश्य एवं श्रव्य संस्कृत काव्य के लक्षणकर्ता आचार्यों द्वारा स्वीकार किये गये हैं। इनमें से दृश्य काव्य के अन्तर्गत वर्ण्य विषय को वाणी के साथ–साथ अभिनय द्वारा भी चित्रित किया जाता है। दृश्य काव्य को रूपकाव्य भी कहते हैं।

''तदरूपारोपात्तु रूपकम्, (तद द□यं काव्य नटेरामादिस्वरूपारोपाद्रूपकमित्युच्यते।)''–
साहित्यदर्पण – आचार्य वि□वनाथ 6/1।

दृश्य काव्य रूपक एवं उपरूपक भेद से दो प्रकार का होता है जिनमें से रूपक के दस भेद होते हैं[1] जो इस प्रकार हैं– नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, वीथि, अंक, ईहामृग, च्यायोग तथा समवकार।

रूपक के इन दस भेदों में वर्णित प्रकरण का प्रमुख ग्रन्थ शूद्रक विरचित 'मृच्छकटिकम्' है। शूद्रक संस्कृत–साहित्य के एकमात्र नाटककार हैं जिन्होंने देवी–देवताओं, राजा अथवा श्रृंगारिकता को छोड़कर तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को नाटक का विषय बनाया है। नाटककार शुद्रक ने इस प्रकरण में मानव–जीवन और समाज की विसंगतियों को पूर्णतः प्रतिबिम्बित किया है।

मृच्छकटिकम् की सामाजिक स्थिति–

साहित्य, समाज, कवि अथवा लेखक का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्योंकि कवि समाज में रहकर ही अपने आस–पास के परिवेश, भावों, विचारों अथवा परिस्थितियों को साहित्य के अन्तर्गत सृजित करता है। सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा कवि समाज को अधिक जिज्ञासा एवं संवेदनशीलता से देखते हुए चिन्तन–मनन करता है जिस कारण समाज का स्वरूप, रीति–रिवाज आदि किसी भी कवि के साहित्य में अवश्यमेव वर्णित होता है। किसी काल की सामाजिक परिस्थितियों को ज्ञात करने का श्रेष्ठतम उपाय तत्कालीन साहित्य होता है– यह उक्ति मच्छकटिकम् के सन्दर्भ में भी पूर्णतः चरितार्थ होती है। इस प्रकरण में तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। शूद्रककालीन सामाजिक स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय एवं दयनीय थी। सम्पूर्ण समाज (राजन्य वर्ग अथवा ब्राह्मण या सामान्य वर्ग) सम्पन्न होने के पश्चात भी विक्षिप्त एवं अधःपतित अवस्था में था। सम्पूर्ण प्रजा राजा में निहित थी। राजा की इच्छा सर्वापरि होती थी किन्तु समाज में शक्तिशाली राजाओं का अभाव था। राज्य संचालन मन्त्रियों की सहायता से किया जाता था। शासन प्रबन्ध अत्यन्त शिथिल था।[2] यद्यपि सामाजिक सुरक्षा हेतु समाज में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, मुकदमों के निर्णय हेतु न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। किन्तु न्याय व्यवस्था उचित नहीं थी।[3] अधिकारी वर्ग परस्पर कलह करता था।

शूद्रककालीन समाज में प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता था। किसी भी वर्ग को विशेष कार्य अथवा व्यवसाय के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। यथा–ब्राह्मण वर्ग अध्ययन–अध्यापन, मन्त्रपाठ, सन्ध्यावंदन देवपूजा[4]

* शोध छात्रा–संस्कृत, लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़–262502 (उत्तराखण्ड)।
**एसोसिएट प्रोफेसर, लक्ष्मण सिंह महर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़–262502 (उत्तराखण्ड)।

एवं व्यापार इत्यादि के अतिरिक्त चोरी[5] द्यूतकीड़ा, वेश्यावृति[6] जैसे निकृष्ट कर्म भी करता था। शर्विलक का गंणिका मदनिका में आसक्त होना इस कथन की पुष्टि करता है।

''अहं हि चतुर्वेदविदोऽप्रतिग्राहकस्य पुत्रः शार्विलक नाम ब्राह्मणो गणिकामदनिकार्थमकार्यमनुतिश्ठामि।।'' मृच्छकटिकम्– महाकवि□ूद्रक, तृतीय अंक।

इसी प्रकार निम्न जाति के व्यक्तियों का उच्च पदों पर आसीन होना[7] क्षत्रिय वर्ग का दुराचारी एवं विवेकहीन होना सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। तत्कालीन समाज में द्यूतक्रीड़ा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस क्रीड़ा में व्यवधान डालने वाले व्यक्ति को सजा दी जाती थी।[8] समाज में मद्यपान जैसी कुप्रथा प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य का क्रय–विक्रय किया जाता था 9 तथा पराधीन व्यक्ति को धन देकर स्वतन्त्र भी किया जाता था।

शूद्रककालीन समाज में उपर्युक्त वर्णित दुर्व्यसन एवं कुरीतियाँ होने के कारण नारी असुरक्षित थी। पुरूषों द्वारा उनका अपहरण[10] किया जाता था। कभी–कभी हत्या करने का प्रयत्न[11] भी किया जाता था। महिलायें इच्छानुसार भ्रमण (विशेष रूप से सायंकाल में) नहीं कर सकती थीं। विभिन्न विषम परिस्थितियों के पश्चात् भी तत्कालीन समाज में नारी का आदर्श स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। गणिका बसन्तसेना के चरित्र में सन्निहित अनेक सदगुण जैसे– सच्चे प्रेम का मूल्य जानना,[12] उचित–अनुचित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, माता के आग्रह करने पर भी दुष्ट शकार की संगति का विरोध करना, सेवकों पर दया करना तथा चारूदत्त की पत्नी धूता की पति के प्रति सच्ची निष्ठा[13] इत्यादि कथन नारी के आर्दश रूप की पुष्टि करते हैं। नारी निम्नजातीय होने के पश्चात भी उच्च कुलवधू बन सकती थी।[14] ब्राह्मण शर्विलक द्वारा मदनिका को वधू बनाना इसका उदाहरण है। इनके अतिरिक्त अनेक प्रसंग हैं जोकि तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट करते हैं।

मृच्छकटिकम् में प्रतिपादित सामाजिक अवधारणा–वर्तमान परिप्रेक्ष्य में–:

प्राचीन साहित्य स्वभावतः तत्कालीन सामाजिक यथार्थ को प्रतिफलित करने के साथ–साथ भविष्य के लिए भी पथ–प्रदर्शक होता है। 'मृच्छकटिकम्' नामक प्रकरण भी स्वकालीन यथार्थता को अभिव्यक्त करने के साथ–साथ वर्तमान सामाजिक स्तर पर प्रासंगिक बना हुआ है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य अथवा व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता, गणिका नारी का समाज एवं राज्य की स्वीकषति से ब्राह्मण की पत्नी बन जाना, महिलाओं का जीवन–यापन संबंधी निर्णय स्वयं लेना इत्यादि तथ्य आधुनिक सुधारवादी समाज को इस प्राचीन नाटक की अभिनव देन है। इस प्रकरण में महाकवि शूद्रक द्वारा नायक चारूदत्त का ऐसा विचित्र एवं अद्भुत चरित्र उपस्थित किया गया है जो वर्तमान में भी अत्यन्त प्रासंगिक एवं ग्रहणीय है। चारूदत्त सामाजिक जीवन के उतार–चढ़ाव में दिव्य मानवमूर्ति के समान अवस्थित है जोकि सम्पूर्ण सामाजिक जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करता है।

''दीनानां कल्पव□क्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी–आद□ीः
□ीक्षितानां सुचरितनिकशः भीलवेला समुद्रः।
सत्कर्ता नावमन्ता पुरूशगुणनिधिर्दक्षिणोदार सत्वो,
ध्येकः भलाध्यः सजीवत्यधिकगुणतयाचोच्छ्वसन्तीव चान्ये।।

(मृच्छकटिकम्–महाकवि□ूद्रक 1/48)

इसी प्रकार नारी की प्रेम के प्रति सच्ची निष्ठा, जीवनयापन संबंधी निर्णय लेना, समाज में जाति–पाति, ऊँच–नीच का भेदभाव न होना इत्यादि तथ्य वर्तमान समय में भी ग्रहणीय हैं। प्राचीन साहित्य के इन ग्रहणीय तथ्यों को उन्नत रूप देने हेतु सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मानव को शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति एवं सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में विशेष अधिकार प्रदान किये गये। यथा–समानता का, स्वतन्त्रता एवं शोषण के विरोध का अधिकार

इत्यादि। इन अधिकारों के अतिरिक्त मानव हित को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर विभिन्न कानून, अधिनियम एवं धारायें पारित की गयीं। व्यवसाय के संबंध में संविधान में कहा गया कि सभी नागरिक अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार अथवा कारोबार कर सकते हैं उन्हें किसी विशेष व्यवसाय एवं कार्य हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।[15] इसी प्रकार जाति–पाति, ऊँच–नीच को समाप्त करने हेतु अस्पृश्यता का अंत करना,[16] धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबन्ध लगाना,[17] किसी कार्य को जबरदस्ती करने के लिए बाध्य न करना[18] इत्यादि कई ऐसे तथ्य हैं जो कि प्राचीन साहित्य में निहित आदर्शों का ही उन्नत रूप है।

नारी को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने हेतु इन अधिकारों के अतिरिक्त कुछ विशेष अधिनियम भी पारित किये गये हैं। यथा–दहेज प्रथा पर रोक लगाने हेतु दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम–1961, पारिवारिक शोषण से सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2002, महिलाओं के साथ होने वाली वेश्यावृति को प्रतिबंधित करने हेतु अनैतिक व्यापार निरोधन अधिनियम–1956, इत्यादि। नारी के लिए भारतीय संविधान एवं अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों एवं अधिकारों संबंधी विषयों का अन्वेषण व परीक्षण करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 क्रियान्वित किया गया है।

'मष्च्छकटिकम्' प्रकरण में जहाँ एक ओर अनेक प्रासंगिक तथ्य हैं वहीं दूसरी ओर अनेक अप्रासंगिक सामाजिक परिस्थितियाँ हैं जो आज भी हमारे समाज में व्यसन के समान विद्यमान हैं। यथा–चोरी करना, द्यूतकीड़ा, मद्यपान करना, नारी अपहरण एवं हत्या उचित न्याय व्यवस्था न होना इत्यादि। इन अवरोधक सामाजिक स्थितियों के दमन अथवा समाप्ति हेतु प्राचीन साहित्य की भाँति वर्तमान में भी सरकार, प्रशासन अथवा जन–सामान्य द्वारा महत्वपूर्ण प्रयत्न किये जा रहें हैं किन्तु समाज में इनका स्वरूप यथावत बना हुआ है जो कि सम्पूर्ण समाज को (विशेष रूप से महिला वर्ग को) प्रभावित कर रही हैं।[16] दिसम्बर 2012 को दक्षिण दिल्ली में घटित सामूहिक बलात्कार की घटना जिसे निर्भया काण्ड के नाम से भी जाना जाता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

सामाजिक सुरक्षा हेतु कानून बनाकर अधिकारियों की नियुक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रत्येक मानव को उचित–अनुचित का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। समाज में महिलाओं के अशिक्षित होने, अधिक जागरूक न होने के कारण भी उनकी असुरक्षा एवं हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। अतः शिक्षा व्यवस्था विशेष रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों, नियम कानूनों को ज्ञात करके जागरूक हो सके साथ–साथ स्वविकास एवं संरक्षण हेतु प्रयत्न कर सके।

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के आधार पर स्पष्टतः कहा जा सकता है कि 'मष्च्छकटिकम्' में प्रतिपादित सामाजिक स्थिति में से जहाँ एक ओर अनेक तथ्य वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक एवं ग्रहणीय हैं वहीं दूसरी ओर ऐसे घटक भी हैं जो पूर्णतः अप्रासंगिक एवं हाँनिकारक है। अतः मानव जीवन एवं समाज को आघात पहुँचाने वाले इन अप्रासंगिक घटकों का परित्याग करके सामाजिक सुधार हेतु प्रत्येक मनुष्य को स्वतः प्रयत्न करना होगा जिसके परिणामस्वरूप प्राचीन साहित्य की महत्ता का ज्ञान होने के साथ–साथ राष्ट्र का सर्वांगीण विकास भी सम्भव होगा।

सन्दर्भ–सूची :

1. दशरूपकम्–आचार्य धनन्जय, प्रथम प्रकाश/8।
2. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, 6/1–5 तक।
   चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन – 2006।
3. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, नवम अंक।
4. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, प्रथम अंक।
5. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, 3/9–19 तक।

6. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, तष्तीय अंक।
7. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, 6/22–23।
8. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, द्वितीय अंक।
9. आर्याः! क्रीणीध्वं माम अस्य सभिकस्य हस्ताद् दशभिः सुवर्णैः''।।
   मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, द्वितीय अंक।
10. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, 1/17–30 तक।
11. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, 8/35–37 तक।
12. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, सम्पूर्ण पंचम अंक।
13. मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, तृतीय एवं दशम अंक।
14. ''सुदृष्टः कियतामेष शिरसा वन्द्यतां जनः।
    यत्र ते दुर्लभं प्राप्तं वधूशब्दावगुण्ठनम्''।। (मृच्छकटिकम्– महाकवि शूद्रक, 4/24)
15. भारतीय संविधान अनुच्छेद–19।
16. भारतीय संविधान अनुच्छेद–17।
17. भारतीय संविधान अनुच्छेद–15।
18. भारतीय संविधान अनुच्छेद–23।